5

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी ::दमयंती कंवर
आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 117/2014
श्याना देवी — बनाम — मीरा देवी आदि

दावा: हुक्मइम्तनाई दवामी
प्रार्थना पत्र धारा 211 रा.का.अधि. 1955

ऐडवोकेट प्रतिवादी (प्रार्थी) :– श्री विप्लव पंडित
ऐडवोकेट (वादी) अप्रार्थी :–श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य

आदेश

दिनांक 17.01.2022

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि :– वकील प्रार्थी (प्रतिवादीगण) द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस कदर पेश किया कि वादीगण ने ग्राम खोजास की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 418/118, 119, 120, 121, 122, 123 के संबंध में उक्त वाद प्रस्तुत किया है। उक्त भूमि में 1/5 हिस्सा किशनी देवी बेवा सुरजाराम, के 1/5 हिस्सा वादिया नम्बर 01 1/5 हिस्सा रामकरण सिंह पुत्र चन्दरा के 1/5 हिस्सा भोलू प्रभाता पुत्र खेमा के 1/5 हिस्सा कुरडा, माधा पुत्र डालू के तथा हरिराम पुत्र कुरडाराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। परन्तु वादीगण ने उपरोक्त वर्णित भूमि के 4/5 हिस्से के नाम से दर्ज सह खातेदारों को वाद–पत्र में पक्षकारा नही बनाया है, ना ही उनकी ओर से वाद पेश किया है। कानूनन जब किसी अधिकार हक या हित में दो या अधिक सहभागी हो तो अपेक्षित था अनुमत के सभी कार्य जो उस पर कब्जा रखने वाले द्वारा किये जाने है, उन सबके द्वारा मिलकर किये जायेगे या शेष सहभागी वाद में शामिल होने से इन्कार करते हो तो उक्त सहभागियों को पक्षकार बनाकर ही वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, परन्तु वादीगण ने अन्य सहभागियों को वाद में पक्षकारा नही बनाया है ना ही उनकी और से वाद प्रस्तुत किया है ना ही सम्पूर्ण भूमि में वाद प्रस्तुत किया है, इसलिये वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार चलने काबिल नही है। इसलिए वादीगण का दावा खारीज फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने प्रार्थी (प्रतिवादीगणों) की प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुये जवाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में दर्ज कथन जो राजस्व रिकार्ड से सम्बन्धित है वे रिकार्ड में जैसे है वैसे ही स्वीकार है परन्तु उपरोक्त रिकॉर्ड जैसे है वैसे ही स्वीकार है परन्तु उपरोक्त रिकार्ड के अलावा दर्ज तमाम कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित तयों के जवाब की आवश्यकता नही होने से जबाब अपेक्षित नही है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 में वर्णित कथन भी नाकाबिल जवाब है एवं उसके अन्त में प्रतिपक्षीकण ने जो सहायता मांगी है वह वे कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

वकील अप्रार्थी (वादी) ने जवाब के साथ अतिरिक्त उतर प्रस्तुत कर कथन किया कि धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की [illegible] के किसी Right Title or interest को प्रभावित करने वाला कोई Litigation Suit file [illegible] गया [illegible] तो सभी सहखातेदार को वादी या प्रतिवादी के रूप में वादी में पक्षकार बनाना Must है। [illegible] भूमि के प्रोटेक्शन के लिये किसी अजनबी के विरूद्ध निषेधाज्ञा का वाद [illegible] क्योंकि ऐसी वाद से कंटेन्स [illegible] प्रभावित नही होते है इसलिए ऐसा वाद कोई भी एक पक्षकार [illegible] अन्य पक्षकार को वाद में [illegible] भीर पेश करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:22:32 IST
Reason: SelfAttested

ए.सी.ई.एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ

6

जवाब देही प्रस्तुत होने पर बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाद–पत्र में जिस भूमि के बाबत दावा किया गया है। वादीगण अकेले खातेदार नही है मात्र 1/5 हिस्से के खातेदार है। वादीगण ने शेष 4/5 हिस्से के खातेदारो को वाद–पत्र में पक्षकार नही बनाया है ना ही उनकी और से वाद–पत्र प्रस्तुत किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसार कोई भी व्यक्ति विभाजन के उपरान्त ही विभाजित अंश के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। जबकि विवादित भूमि सह–खातेदारी की है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 211 के नियम 01 व 03 अनुसार वादीगण के दावा लाने का अधिकार नही है। वाद–पत्र धारा 211 के उपरान्त प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। जवाब में वकील वादी ने जवाब ही को बहस होना कथन किया।

बहस वकील पक्षकारान का मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 211 के नियम 01 उपधारा (3) में अन्यथा प्रावहित होने के अलावा, जब किसी अधिकार, हक या हित मे दो या अधिक सहभागी हो तो अपेक्षित या अनुमत वे सभी कार्य जो उस पर कब्जा रखने वाले द्वारा किये जाने है उन सबके द्वारा मिलकर किये जायेंगे जब तक कि उन्होने अपने सबकी ओर से काम करने के लिये किसी एजेण्ट की नियुक्ति नही कर दी हो। जब दो या उससे अधिक सहभागियों में से कोई एक सहभागी अकेले वाद प्रस्तुत करने या कार्यवाही करने का हक नही रखता हो और शेष सहभागी, उन सभी द्वारा मिलाकर वसूल करने योग्य रकम के लिये कार्यवाही या वाद में शामिल होने से इन्कार करते हो तो, उक्त सहभागी अपने हिस्से के लिये, अवशिष्ट सहभागियों को पक्षकार बनाते हुए, अकेला वाद प्रस्तुत या कार्यवाही कर सकता है दर्ज किया है। स्पष्ट है कि वादीगण वादग्रस्त भूमि के अकेले खातेदार नही है मात्र 1/5 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है। शेष हिस्सेदारों की और से ना तो वाद लाया गया है ना ही उनको पक्षकार बनाया गया है। वकील वादी की ओर से जवाब के समर्थन में कोई कानून अथवा न्यायिक दृष्टांत पेश नही किया गया है ना ही स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में धारा 211 लागू नही होती, ऐसा कोई प्रावधान भी दौराने बहस बताया है। इसलिए सम्पूर्ण भूमि के बाबत बिना बंटवारो को अकेले वादीगण को वाद लाने तथा प्रोटेक्ट करने का अधिकार नही है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 211 पोषणीय होने स्वीकार किया जाता है तथा वादी वादी इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 17.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ए. सी. (फा. ट्रे.) नवलगढ़

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:22:32 IST
Reason: SelfAttested